राजमाता विजयाराजे सिंधिया कृषि विश्वविद्यालय

राजा पंचम सिंह मार्ग, आकाशवाणी के पास,

ग्वालियर (म.प्र.) 474002

No. IPRO/Advt. No. 30th/2023/Reg./ 3206 Dated – 25.09.2023

विज्ञापन

राजमाता विजयाराजे सिंधिया कृषि विश्वविद्यालय, ग्वालियर (म. प्र.) के अंतर्गत विभिन्न कृषि विज्ञान केन्द्रों/ विश्वविद्यालय मुख्यालय में निम्नानुसार रिक्त पदों को भरने के लिए आवेदन आमंत्रित किए जाते हैं। आवेदन पत्र भरने के लिए दिशानिर्देश, आवश्यक योग्यतायें तथा आवेदकों के लिए अन्य शर्तों आदि के विवरण विश्वविद्यालय पोर्टल www.rvskvv.net पर उपलब्ध है।

आवेदन ऑनलाईन रूप से विश्वविद्यालय पोर्टल www.rvskvv.net पर निर्धारित आवेदन शुल्क का भुगतान करके दि. 10.10.2023 से 06.11.2023 (रात्रि 12:00 बजे) तक किया जा सकता है।

ऑनलाईन आवेदन के पश्चात् आवेदन का प्रिन्टऑउट (हार्ड कापी) समस्त प्रमाणपत्र/ अभिलेखों की स्व-प्रमाणित प्रतिलिपि सहित 15 दिवस के अन्दर अर्थात दि. 21.11.2023 को सांयः 06:00 बजे तक "कुलसचिव, राजमाता विजयाराजे सिंधिया कृषि विश्वविद्यालय, राजा पंचम सिंह मार्ग, आकाशवाणी के पास, ग्वालियर (म.प्र.) पिन – 474002" पर भेजा जाना आवश्यक है।

अभ्यर्थी आवेदन के पूर्व आवेदन से संबंधित समस्त शर्तें, आवश्यक जानकारी तथा निर्देशों का ध्यानपूर्वक अध्ययन कर लें। ऑनलाइन आवेदन भरने के पश्चात् आवेदन में किसी भी प्रकार का सुधार नही किया जा सकेगा। अतः अभ्यर्थी ऑनलाइन आवेदन को भी अंतिम रूप से सबमिट करने के पूर्व सावधानीपूर्वक जाँच कर लें।

कुलसचिव

राजमाता विजयाराजे सिंधिया कृषि विश्व विद्यालय, ग्वालियर (म.प्र.)

विज्ञापन - No. IPRO/Advt. No. 30th/2023/Reg./ 3206 **दिनांक - 25.09.2023**

पदवार तथा श्रेणीवार रिक्तियां

सरल/ पद क्र.	पद का नाम	वेतनमान (6वें सीपीसी के अनुसार)	श्रेणीवार रिक्त पदों की संख्या					योग
			अनारक्षित (UR)	अनुसूचित जाति (SC)	अनुसूचित जनजाति (ST)	अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC)	आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (EWS)	
A. कृषि विज्ञान केन्द्रों हेतु पद								
1	वरिष्ठ वैज्ञानिक एवं प्रमुख	PB-4, 37400-67000, GP-9000	03	01	02	02	01	09
2(A)	विषय वस्तु विशेषज्ञ– उद्यानिकी	PB-3, 15600-39100, GP-5400	03	01	02	02	-	08
2(B)	विषय वस्तु विशेषज्ञ– कृषि प्रसार	PB-3, 15600-39100, GP-5400	02	02	01	02	01	08
2(C)	विषय वस्तु विशेषज्ञ– पौध संरक्षण	PB-3, 15600-39100, GP-5400	02	-	01	02	01	06
2(D)	विषय वस्तु विशेषज्ञ– पशु पालन	PB-3, 15600-39100, GP-5400	02	02	02	03	01	10
2(E)	विषय वस्तु विशेषज्ञ– मृदा विज्ञान	PB-3, 15600-39100, GP-5400	05	02	03	03	01	14
2(F)	विषय वस्तु विशेषज्ञ–सस्य विज्ञान	PB-3, 15600-39100, GP-5400	01	01	02	03	01	08
3	प्रोग्राम असिस्टेंट (कृषि एवं संबंधित विषय)	PB-2, 9300-34800, GP-4200	05	03	03	04	01	16
4	प्रोग्राम असिस्टेंट (कम्प्यूटर)	PB-2, 9300-34800, GP-4200	04	02	02	03	01	12
5	कार्यालय अधीक्षक सह लेखापाल	PB-2, 9300-34800, GP-4200	02	01	01	01	00	05
6	स्टेनोग्राफर ग्रेड – 3	PB-1, 5200-20200, GP-2400	02	01	01	01	00	05
7	वाहन चालक सह मैकेनिक	PB-1, 5200-20200, GP-2000	05	03	03	04	01	16
8	स्किल्ड सपोटिंग स्टाफ	PB-1, 5200-20200, GP-1800	12	07	08	11	04	42
B. विश्व विद्यालय हेतु पद								
1	वाहन चालक	5200-20200, GP-1900	06	03	02	04	01	16

नोटः

- उपरोक्त रिक्तियों हेतु रोस्टर म.प्र. शासन के नियमानुसार है और इसके लिए MP GAD मेमो क्रमांक F-07-53/2019/आ.प्र./एक दिनांक 04.01.2020 द्वारा संशोधित) का पालन किया गया है।
- सामान्य प्रशासन विभाग मध्य प्रदेश शासन के मेमो क्रमांक एफ.-8-5/ 2004/आ.प्र./एक, दिनांक 31.03.2005 अनुसार उपरोक्त रिक्तियों में दिव्यांगजनों के लिए 6 प्रतिशत क्षैतिज आरक्षण होगा । दिव्यांगजनों हेतु आरक्षित ये पद सभी कैटेगरी की रिक्तियों में सम्मिलित हैं। जिस श्रेणी के दिव्यांग जन इन पदों के लिए चयनित होगा उसे उसी श्रेणी हेतु मान्य किया जायेगा। ये पद प्रत्येक श्रेणी की बिना वर्ग/ ओपन रिक्तियों में समाहित है। आदेश क्र. एफ.-8-4/ 2001/आ.प्र./एक (पार्ट), भोपाल दिनांक 01.06.2022 के अनुसार दिव्यांगजन को दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम 2016 की धारा 34 तथा म.प्र. दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम 2017 के नियम 12 के तहत सीधी भर्ती से भरे जाने वाले प्रथम, द्वितीय, तृतीय एवं चतुर्थ श्रेणी की लोक सेवाओं एवं पदों में दिव्याग जनों हेतु 6 प्रतिशत आरक्षण निम्नानुसार रहेगा –
    1. दृष्टिबाधित एवं कम दृष्टिबाधित (VH) – 1.5 प्रतिशत
    2. बहरे और कम सुनने वाले (EH) – 1.5 प्रतिशत
    3. लोकोमोटर डिसेबिलिटी जिसमे सम्मिलित है सेरेब्रल पाल्सी, कुष्ठ रोग मुक्त, बौनापन, एसिड अटैक पीड़ित, मस्कुलर डिस्ट्राफी (LD) – 1.5 प्रतिशत
    4. आटिस्म, बौद्धिक दिव्यांगता, स्पेसिफिक लर्निंग डिसेबिलिटी और मानसिक बीमारी और बहुविकलांगता (MD) – 1.5 प्रतिशत
- मध्य प्रदेश सिविल सेवा (महिलाओं की नियुक्ति हेतु विशेष उपबंध) नियम, 1997 के प्रावधानों के अनुसार महिलाओं के पक्ष में पदों में 33% रिक्तियों (मध्य प्रदेश शासन सामान्य प्रशासन विभाग मेमो क्रमांक सी 3-8/2015/3/1 दिनांक 19.11.2015 द्वारा संशोधित) का आरक्षण होगा। यदि किसी अनारक्षित या आरक्षित श्रेणी में महिलाओं के लिए आरक्षित कोई पद उपयुक्त महिला उम्मीदवार के अभाव में रिक्त रह जाता है, तो ऐसे रिक्त पदों को अगले वर्ष के लिए आगे नहीं बढ़ाया जाएगा। ऐसी रिक्तियां उसी श्रेणी के पुरुष उम्मीदवारों द्वारा भरी जा सकेगी।
- उक्त विज्ञापन में अन्य पिछड़ा वर्ग हेतु आरक्षित रिक्तियों का अंतिम चयन परिणाम याचिका क्र. 5901/2019, 25181/2019 एवं अन्य पिछड़ा वर्ग आरक्षण से सम्बंधित याचिकाओं के अंतिम न्यायालयीन निराकरण पर निर्भर होगा। मा. न्यायालय द्वारा इनके सम्बन्ध में अंतिम निर्णय होने तक अन्य पिछड़ा वर्ग हेतु आरक्षित 13 प्रतिशत पदों हेतु परिणाम होल्ड रखा जायेगा।

विज्ञापन एवं आवेदन प्रक्रिया सम्बन्धी अनिवार्य सूचनाएँ एवं आवश्यक निर्देश

1. आवेदन हेतु अनिवार्यताए-

(1) आवेदक (अभ्यर्थी) भारत का नागरिक होना चाहिए।

(2) आवेदक को स्थानीय भाषा का ज्ञान होना चाहिए।

(3) आवेदक आवेदित पद के अनुरूप निर्धारित आवश्यक शैक्षणिक एवं अन्य अहर्ताएं रखता हो।

(4) आवेदक की आयु निर्धारित आयु सीमा में आती हो।

(5) आरक्षित पदों हेतु आवेदक को मध्य प्रदेश का मूल निवासी होना आवश्यक है।

(6) अभ्यर्थी का आधार पंजीयन अनिवार्य है।

2. पद सम्बन्धी जानकारी एवं दिशा निर्देश

(1) कृषि विज्ञान केंद्र (केव्हीके) हेतु विज्ञापित यह पद भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद [Indian Council of Agricultural Research (ICAR)], नई दिल्ली द्वारा शत-प्रतिशत अनुदानित तथा वित्त पोषित है और इन पदों के लिए सभी निर्धारित भुगतान भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद द्वारा दी गई निधि से ही किए जाएंगे।

(2) कृषि विज्ञान केंद्र में पदों पर भर्ती किए गए कर्मियों को भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद, नई दिल्ली द्वारा मान्य तथा समय समय पर संशोधित वेतनमान, भत्ते व सुविधाएँ ही विश्वविद्यालय प्रमण्डल अनुमोदन उपरांत देय होंगे।

(3) कृषि विज्ञान केंद्र हेतु विज्ञापित उक्त पद पूर्णतः अस्थाई है और भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद, नई दिल्ली द्वारा परियोजना की निरंतरता की स्वीकृति के अनुसार ही परियोजना जारी रहने तक जारी रहेंगे।

(4) कृषि विज्ञान केंद्र परियोजना समाप्ति की स्थिति में कृषि विज्ञान केंद्रों में नियुक्त कर्मियों की सेवाएं स्वतः समाप्त हो जाएगी और परियोजना की समाप्ति के बाद विश्वविद्यालय किसी भी स्थिति में अभ्यर्थी का संविलियन (Absorb) नहीं करेगा।

(5) कृषि विज्ञान केंद्र के पदों पर भर्ती किए गए कर्मिकों को विश्वविद्यालय के अंतर्गत किसी भी कृषि विज्ञान केंद्र में कभी भी पदस्थापित किया जा सकता है। उन्हें कृषि विज्ञान केंद्र के अलावा अन्य किसी भी ईकाई/ महाविद्यालय/ अनुसन्धान केंद्र/ विभाग/ शाखा में स्थानांतरित नही किया जा सकेगा।

(6) कृषि विज्ञान केंद्र में पदस्थ कर्मियों हेतु अलग से कैडर होगा तथा उनकी वरिष्ठता सूची पृथक से संधारित की जाएगी।

(7) भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद, नई दिल्ली द्वारा यदि केव्हीके को दी जा रही वेतन संबंधी अनुदान में कटौती की जाती है, तदनुसार कृषि विज्ञान केंद्र में पदस्थ कर्मियों के वेतन एवं भत्तों में भी उसी अनुपात में कटौती की जाएगी।

(8) यह पद भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद, नई दिल्ली द्वारा निर्धारित वेतनमानों के अनुसार विज्ञापित किये जा रहे है। यदि नियुक्ति के पूर्व या पश्चात् किसी भी समय भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद, नई दिल्ली द्वारा इनमे परिवर्तन किया जाता है तो वह शर्त/ शर्तें सभी को मान्य होगी।

(9) सभी आवेदकों को विज्ञापन में दर्शाई अनिवार्य योग्यताओं, आवश्यकताओं और शर्तों को पूरा करना होगा। उन्हें सलाह दी जाती है कि वह आवेदन करने के पूर्व स्वयं संतुष्ट हो ले कि वह आवेदन किये जाने वाले पद/पदों के लिए निर्धारित आवश्यकता पूरी करते है तथा निर्धारित योग्यताएं रखते हैं। योग्यता के बारे में सलाह मांगने वाली किसी पूछताछ पर विचार नहीं किया जाएगा।

(10) विज्ञापन में वर्णित पदों की संख्या में आवश्यकतानुसार परिवर्तन किया जा सकता है। विश्वविद्यालय बिना कोई कारण बताए किसी भी समय किसी भी श्रेणी के तहत विज्ञापित पदों की संख्या बढ़ाने/ घटाने या वापस लेने का अधिकार सुरक्षित रखता है।

(11) विज्ञापन के संबंध में जनसूचना अधिकार अधिनियम 2005 के तहत किसी भी प्रकार की जानकारी अंतिम परिणाम घोषित होने के बाद ही उपलब्ध कराई जाएगी अर्थात विज्ञापन जारी होने से भर्ती प्रक्रिया पूर्ण होने तक किसी भी प्रकार की विज्ञापन सम्बन्धी जानकारी प्रदान नही की जाएगी।

(12) आवेदक द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों की स्वीकृति सक्षम अधिकारी/ समिति के सत्यापन के अधीन होगी। यदि नियुक्ति से पहले या बाद में कोई भी दस्तावेज असत्य, नकली, गलत और दोषपूर्ण पाया जाता है; तो दस्तावेजों को प्रारंभिक तौर पर खारिज कर दिया जाएगा तथा संबंधित अभ्यर्थी के विरुद्ध विश्वविद्यालय प्रशासन द्वारा वैधानिक कार्यवाही की जाएगी।

(13) अभ्यर्थी की नियुक्ति सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी नवीनतम चरित्र प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण, जन्म प्रमाण पत्र तथा मूलनिवासी प्रमाणपत्र (यदि लागू हो) आदि के सत्यापन के अधीन होगी।

(14) कूटरचित या फर्जी दस्तावेज प्राप्त होने की दशा में अभ्यर्थी का आवेदन निरस्त कर दिया जायेगा तथा शासन नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही की जाएगी।

(15) चयन प्रक्रिया में असावधानी वश हुई किसी भी त्रुटि के मामले में, जो नियुक्ति पत्र जारी होने के बाद भी किसी भी स्तर पर पता चल सकती है, विश्वविद्यालय सक्षम अधिकारी को साक्षात्कार बुलावा पत्र/ नियुक्ति पत्र को संशोधित करने, वापस लेने या रद्द करने का अधिकार किसी भी समय होगा।

(16) किसी भी रूप में सिफारिश करने से अभ्यर्थी का आवेदन रद्द किया जाएगा। प्रत्यक्ष/ अप्रत्यक्ष रूप से किसी भी रूप में प्रचार/ प्रभाव लाना अयोग्यता माना जायेगा।

(17) चयनित अभ्यर्थियों को किसी भी पद पर जॉइनिंग करने के पूर्व रु. 100 मूल्य के गैर-न्यायिक स्टांप पेपर (non-judicial stamp paper) पर नोटरी किया हुआ सहमति बंधन पत्र (Notarized Agreement Bond) जमा करना होगा कि वे न्यूनतम 3 वर्षों तक विश्वविद्यालय में ही अपनी सेवाएं देंगे। यदि अभ्यर्थी बांड अवधि से पहले अपनी सेवाएं छोड़ना या त्यागपत्र देना चाहता है तो वह विश्वविद्यालय को अपनी 3 वर्षों में से शेष बची अवधि के अपने वेतन का भुगतान एक ही किस्त में करेगा।

(18) बांड अवधि (3 वर्ष) में चयनित अभ्यर्थियों के इस विश्वविद्यालय के अतिरिक्त अन्य कही भी किसी समान एवं निचले पदों हेतु आवेदन पत्र को अग्रेषित नही किया जायेगा। उच्च पद पर आवेदन अग्रेषित किये जा सकते है किन्तु चयन कि दशा में विन्दु 2(17) का पालन अभ्यर्थी को करना होगा।

(19) पद पर नियुक्ति अस्थायी है और चयनित उम्मीदवार विश्वविद्यालय तथा मध्य प्रदेश शासन के नियमानुसार अस्थाई तथा परीवीक्षा अवधि के नियमों के अधीन होगी।

(20) सेवा शर्तें विश्वविद्यालय के साथ-साथ मध्य प्रदेश शासन के प्रचलित तथा समय-समय पर निर्धारित/ अंगीकृत नियम एवं शर्तों के अधीन होंगी। सेवाओं को आगे जारी रखना सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन के अधीन होगा।

(21) नियुक्ति उपरांत बांड अवधि के बाद नियोक्ता (विश्वविद्यालय) और अभ्यर्थी द्वारा कम से कम एक महीने की अग्रिम सूचना देकर या उसके बदले में एक माह का वेतन देकर दोनों ओर से सेवाएं समाप्त की जा सकती हैं। नियुक्त होने वाले अभ्यर्थी के किसी भी समय चाहे वह बांड अवधि में भी हो; अयोग्य पाए जाने, सेवा नियमों का पालन न करने अथवा कार्य संतोषजनक न पाए जाने की दशा में विश्वविद्यालय को अभ्यर्थी की सेवाए समाप्त करने का अधिकार होगा।

(22) पद पर नियुक्त होने वाले अभ्यर्थी की सेवाए म.प्र. राज्य सरकार द्वारा शुरू की गई तथा विश्व विद्यालय द्वारा अपनाई "नवीन पारिभाषित पेंशन योजना 2005" जो 01.01.2005 से प्रभावी है , के अंतर्गत विहित होगी ।

(23) केंद्र सरकार या अन्य राज्य सरकार संगठन में कार्यरत कर्मचारी का चयन होता है तो नियमानुसार पेंशन/ अंशदान का निर्धारण होगा।

(24) इस विज्ञापन के किसी भी खंड के नियमों के संबंध में कोई स्पष्टता की कमी होने या अस्पष्टता होने की दशा में विश्वविद्यालय का निर्णय अंतिम एवं सर्वमान्य होगा।

(25) यदि विज्ञापन जारी होने में, साक्षात्कार पत्र जारी होने में अथवा चयन परिणाम के प्रकाशन के बाद भी कोई कंप्यूटर त्रुटि/ लिपिकीय त्रुटि देखी जाती है तो विश्वविद्यालय साक्षात्कार बुलावा पत्र/ चयन परिणाम को सुधारने/ वापस लेने का अधिकार सुरक्षित रखता है।

(26) किसी भी प्रकार के विवाद में न्यायालयीन क्षेत्र मा. उच्च न्यायालय, ग्वालियर रहेगा।

3. शैक्षणिक योग्यताए एवं अनिवार्यताएं

(1) आवेदन के समय समस्त वांछित शैक्षणिक योग्यताएं अनुभव प्रमाण पत्र आदि पूर्ण होना आवश्यक है। यदि किसी भी शैक्षणिक योग्यता में कमी पाई जाती है तो आवेदन निरस्त कर दिया जाएगा साक्षात्कार के समय या दस्तावेज सत्यापन करने के समय मूल दस्तावेज प्रस्तुत करना आवश्यक है।

(2) समस्त पदों हेतु अंकित अहर्तायें विश्वविद्यालय प्रमंडल के अनुमोदन की प्रत्याशा में अंकित है, यदि किसी पद की अहर्ता में परिवर्तन होता है तो विश्वविद्यालय पोर्टल पर सूचित किया जायेगा।

(3) गैर सरकारी संगठन, निजी उद्यम, निजी कॉलेज पाठ्यक्रम में निश्चित वेतन को विज्ञापन में वर्णित वेतनमान के समतुल्य नहीं माना जाएगा।

(4) सभी शैक्षणिक योग्यताओं का मान्यतापूर्ण संस्थान से होना आवश्यक है।

4. आयु सीमा

(1) मध्य प्रदेश शासन के परिपत्र क्रमांक सी-3-8/2016/13 दिनांक 04 जुलाई, 2019 के अनुसार विभिन्न पदों हेतु आयु सीमा न्यूनतम 18 वर्ष तथा अधिकतम 40 वर्ष रहेगी।

विभिन्न पदों हेतु अधिकतम आयु इस प्रकार होगी –

पद	अधिकतम आयु (वर्षों में)
A. कृषि विज्ञान केन्द्रों हेतु पद	
वरिष्ठ वैज्ञानिक एवं प्रमुख	45*
विषय वस्तु विशेषज्ञ	40
प्रोग्राम असिस्टेंट (कृषि)	40
प्रोग्राम असिस्टेंट (कंप्यूटर)	40
कार्यालय अधीक्षक सह लेखापाल	40
स्टेनोग्राफर ग्रेड – 3	40
वाहन चालक सह मैकेनिक	40
स्किल्ड सपोर्टिंग स्टाफ	40
B. विश्व विद्यालय हेतु पद	
वाहन चालक	40

* पद प्रवेश स्तर का पद नही है.

(2) आरक्षित वर्ग को आयु सीमा में नियमानुसार छूट दी जाएगी। अनुसूचित जाति, अनूसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, निगम/ मण्डल/स्वशासी संस्था के कर्मचारियों/ नगर सैनिक/ निः शक्तजन/ महिलाओं (अनारक्षित/आरक्षित) आदि के लिए आयु सीमा में अधिकतम 5 वर्ष की छूट रहेगी।

(3) राजमाता विजयाराजे सिंधिया कृषि विश्वविद्यालय, ग्वालियर के प्रमंडल के अनुमोदनानुसार विश्वविद्यालय के अंतर्गत विभिन्न इकाइयों में कम से कम 5 वर्ष से कार्यरत संविदा/ पार्ट टाइम/ कांट्रेक्चुअल शिक्षक, ICAR परियोजनाओं में कार्यरत आर.ए. तथा एस.आर.एफ़. आदि को अधिकतम आयु सीमा में 5 वर्ष की छूट दी जाएगी। इसी प्रकार वाहन चालक के रूप में कार्यरत अस्थाई/ दैनिक वेतन भोगी/ श्रमिक को विश्वविद्यालय के वाहन चालक के पद हेतु 5 वर्ष की छूट दी जाएगी।

(4) राजमाता विजयाराजे सिंधिया कृषि विश्व विद्यालय, ग्वालियर के अंतर्गत विभिन्न इकाइयों में कार्यरत कर्मचारियों हेतु कोई आयुसीमा नही होगी।

(5) विशिष्ट दशाओं में मा. कुलपति को अधिकतम आयु सीमा में छूट देने का अधिकार है।

(6) क्लास-III एवं क्लास-IV पदों हेतु अभ्यर्थी का मध्यप्रदेश के किसी भी जिले के रोजगार कार्यालय में जीवित पंजीयन होना अनिवार्य है।

(7) राजमाता विजयाराजे सिंधिया कृषि विश्व विद्यालय, ग्वालियर की प्रमंडल द्वारा लिए गए निर्णय के क्रम में विश्वविद्यालय अधिसूचना क्र./कु.स./स्था.दो/2023/2531 दिनांक 31.07.2023 के अनुसार विश्वविद्यालय में कार्यरत जिन अस्थाई कर्मचारियों/ दैनिक वेतन भोगी/ श्रमिक आदि को विज्ञापन दिनांक 16.06.2021 में वाहन चालक के पदों हेतु 5 वर्ष की छूट देकर पात्र माना गया था, उन्हें इस विज्ञापन में भी पात्र माना जायेगा।

5. आरक्षित पदों के बारे में आरक्षण नियम

(1) आरक्षण के नियम मध्यप्रदेश राज्य सरकार के नियमानुसार लागू होंगे।

(2) इन पदों पर मध्य प्रदेश राज्य शासन के अनुसार आरक्षण नियमानुसार संबंधित आरक्षण की श्रेणी जैसे अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग एवं दिव्यांगजन में मध्यप्रदेश के मूल निवासियों को ही आवेदन करने की पात्रता होगी। महिला वर्ग हेतु आरक्षित पदों हेतु मध्यप्रदेश की मूल निवासी महिला आवेदकों को ही आवेदन करने की पात्रता होगी।

(3) आवेदकों को इसके लिए मध्यप्रदेश के सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी प्रमाण पत्र तथा मध्य प्रदेश का मूल निवासी प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा। इसके अभाव में उन्हें आरक्षित श्रेणी में मान्य नही किया जाएगा।

(4) यदि आरक्षित श्रेणी का अभ्यर्थी जो अपनी योयता के आधार पर अनारक्षित श्रेणी में स्थान प्राप्त कर कर लेता है तो उसक गणना अनारक्षित श्रेणी/ ओपन श्रेणी में की जाएगी।

(5) यदि किसी अनारक्षित या आरक्षित श्रेणी में महिलाओं के लिए आरक्षित कोई पद उपयुक्त महिला उम्मीदवार के अभाव में रिक्त रह जाता है, तो ऐसे रिक्त पदों को अगले वर्ष के लिए आगे नहीं बढ़ाया जाएगा। ऐसी रिक्तियां उसी श्रेणी के पुरुष उम्मीदवारों द्वारा भरी जा सकेगी।

6. आवेदन की प्रक्रिया

(1) इच्छुक और पात्र अभ्यर्थी विश्वविद्यालय की वेबसाइट www.rvskvv.net पर विभिन्न पदों हेतु निर्धारित तिथि तक आवेदन कर सकते हैं।

(2) विज्ञापन संबंधी जानकारी तथा लिंक निर्धारित तिथि तक ही विश्वविद्यालय पोर्टल पर उपलब्ध रहेगी।

(3) आवेदन के पश्चात आवेदन का प्रिंट आउट (हार्ड कॉपी) लेकर सभी संलग्न दस्तावेजों को उसके साथ क्रमानुसार संलग्न करके आवेदन निर्धारित समय सीमा में "कुलसचिव, राजमाता विजयाराजे सिंधिया कृषि विश्वविद्यालय, राजा पंचम सिंह मार्ग, ग्वालियर (म. प्र.) पिन - 474002" पर भेजा जाना आवश्यक है।

(4) अभ्यर्थी केवल आवश्यक एवं उपयुक्त दस्तावेज/ अभिलेखों की प्रमाणित प्रतियाँ ऑनलाइन आवेदन में अपलोड तथा प्रिंटआउट (आवेदन की हार्ड कॉपी) के साथ संलग्न करे। अनावश्यक दस्तावेज/ अभिलेख/ पेपर आदि जोड़ना अयोग्यता माना जायेगा।

(5) ऑनलाइन आवेदन के साथ रिसर्च पेपर, पुस्तक आदि प्रकाशनों के केवल प्रथम पृष्ठ को ही अपलोड किया जाये।

(6) सरकारी और गैर-सरकारी संगठन, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों, स्वायत्त निकायों में कार्यरत आवेदकों को अपने वर्तमान नियोक्ता से अनापत्ति प्रमाण-पत्र (प्रारूप संलग्न) प्रस्तुत करना होगा, जिसे ऑनलाइन आवेदन के समय अपलोड करना होगा तथा दस्तावेजों के सत्यापन के समय प्रस्तुत करना होगा।

(7) आवेदन पत्र प्रेषित किये जाने वाले लिफाफे के ऊपर "विज्ञापन क्रमांक, आवेदित पद का आइटम नं./ क्रमांक., पद का नाम, और विषय, केटेगरी" लिखा जाना आवश्यक है।

(8) अंतिम तिथि के पश्चात प्राप्त आवेदनों की हार्ड कॉपी (प्रिंटआउट) पर किसी भी परिस्थिति में विचार नहीं किया जाएगा। आवेदकों को स्पष्ट रूप से ध्यान देना चाहिए कि किसी भी प्रकार से आवेदन में होने वाली देरी के लिए विश्वविद्यालय जिम्मेदार नहीं होगा।

(9) ऑनलाइन आवेदन के उपरांत भेजी जाने वाले हार्ड कॉपी (प्रिंटआउट) में यदि अभ्यर्थी द्वारा कुछ परिवर्तन किया जाता है तो उस परिवर्तन पर विचार नही किया जायेगा। आवेदन में ऑनलाइन की गई प्रविष्टियों पर ही विचार किया जायेगा।

7. आवेदन शुल्क

(1) विभिन्न पदों हेतु आवेदन शुल्क निम्नानुसार रहेगा

पद	सामान्य वर्ग एवं अन्य पिछड़ा वर्ग के आवेदको तथा अन्य राज्यों के आवेदकों हेतु	म. प्र. के मूल निवासी अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति दिव्यांग जनों हेतु
A. कृषि विज्ञान केन्द्रों हेतु पद		
वरिष्ठ वैज्ञानिक एवं प्रमुख	1000	500
विषय वस्तु विशेषज्ञ	1000	500
प्रोग्राम असिस्टेंट (कृषि)	600	300
प्रोग्राम असिस्टेंट (कंप्यूटर)	600	300
कार्यालय अधीक्षक सह लेखापाल	600	300
स्टेनोग्राफर ग्रेड – 3	600	300
वाहन चालक सह मैकेनिक	600	300
स्किल्ड सपोर्टिंग स्टाफ	600	300
B. विश्व विद्यालय हेतु पद		
वाहन चालक	600	300

(2) आवेदन शुल्क कुलसचिव, राजमाता विजयाराजे सिंधिया कृषि विश्वविद्यालय, ग्वालियर के पक्ष में देय होगा। आवेदन शुल्क किसी भी परिस्थिति में वापस नहीं किया जाएगा।

(3) आवेदन शुल्क में छूट की पात्रता केवल मध्य प्रदेश के मूल निवासियों को ही रहेगी।

(4) अन्य राज्यों के अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग एवं दिव्यांगजनों को अनारक्षित श्रेणी हेतु निर्धारित आवेदन शुल्क का भुगतान करना होगा।

(5) फीस का भुगतान ऑनलाइन किया जाएगा, जिसकी ट्रांजैक्शन आईडी का विवरण और फीस भुगतान की रसीद को आवेदन के साथ संलग्न किया जाना आवश्यक है।

(6) यदि कोई अभ्यर्थी एक से अधिक पदों के लिए आवेदन करता है, तो उसे प्रत्येक पद के लिए पृथक पृथक आवेदन शुल्क का भुगतान करना होगा। यदि उसके द्वारा आवेदन शुल्क का भुगतान नहीं किया जाता है तो उसका आवेदन अमान्य कर निरस्त कर दिया जाएगा।

(7) ऑनलाइन शुल्क भुगतान होने में देरी होने, ट्रांसेक्शन फ़ैल होने, रुक जाने या वापस हो जाने की स्थिति हेतु तथा इस कारण आवेदन नही हो पाने के लिए विश्वविद्यालय उत्तरदायी नही होगा।

(8) हालाँकि यदि एक ही आवेदन हेतु यदि 2 बार भुगतान कर दिया जाता है तो प्रमाण सहित प्राप्त होने वाले निवेदन पर विचार कर गलती से प्राप्त किये जाने वाले भुगतान को वापस किया जा सकेगा।

8. साक्षात्कार प्रकिया हेतु बुलाया जाना

(1) आवेदक के पास वांछित योग्यता होने से ही यह सिद्ध नही होगा कि उसे साक्षात्कार या आगामी प्रक्रिया में बुलाया जाना आवश्यक ही है।

(2) प्राप्त होने वाले सभी आवेदनों का विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित स्कोरकार्ड के अनुसार स्क्रीनिंग/ मूल्यांकन/ परीक्षण किया जायेगा और इसमें पात्र पाए जाने वाले अभ्यर्थियों को ही आगामी प्रक्रिया के लिए योग्य माना जायेगा। योग्य पाए जाने वाले अभ्यर्थियों को 1:3 to 1:8 के अनुपात (पद: अभ्यर्थी) में साक्षात्कार हेतु बुलाया जायेगा। कृपया इस विज्ञापन के विन्दु 8(5) एवं 8(6) का अवलोकन भी करें।

(3) विश्वविद्यालय प्रबंधन प्रमण्डल में पारित नियमानुसार स्कोरकार्ड मूल्यांकन में समस्त शिक्षकों/ वैज्ञानिकों व अन्य प्रथम एवं द्वित्तीय श्रेणी पदों हेतु अनारक्षित वर्ग हेतु न्यूनतम 50 प्रतिशत; अन्य पिछड़ा वर्ग, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (ई.डब्ल्यू.एस.) तथा निशक्त जन (दिव्यांगजन) वर्गों हेतु न्यूनतम 45 प्रतिशत अंक तथा अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति वर्गों हेतु न्यूनतम 40 प्रतिशत अंक प्राप्त करना अनिवार्य होगा।

(4) विश्वविद्यालय प्रबंधन प्रमण्डल में पारित नियमानुसार समस्त गैर शैक्षणिक व अन्य तृतीय एवं चतुर्थ श्रेणी पदों हेतु अनारक्षित, अन्य पिछड़ा वर्ग, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (ई.डब्ल्यू.एस.) तथा निशक्त जन (दिव्यांगजन) वर्गों हेतु स्कोरकार्ड मूल्यांकन में न्यूनतम 45 प्रतिशत अंक तथा अनुसूचित जाति और अनुसुचित जनजाति वर्गों हेतु न्यूनतम 40 प्रतिशत अंक प्राप्त करना अनिवार्य होगा।

(5) आवेदन की स्क्रीनिंग उपरांत योग्य पाए जाने वाले अभ्यर्थियों को स्कोरकार्ड मूल्यांकन में प्राप्त रैंकिंग/ मेरिट के अनुसार 1 पद हेतु प्रथम 3 से 8 अभ्यर्थी को (1 पद हेतु 3 से 8 अभ्यर्थियों के अनुपात में) साक्षात्कार हेतु बुलाया जायेगा।

(6) पदों की संख्या 1 से अधिक होने की दशा में प्रथम पद हेतु 3 से 8 आवेदकों को तथा उसके पश्चात् प्रत्येक पद हेतु 3 के अनुपात में आवेदकों को साक्षात्कार हेतु बुलाया जायेगा। जैसे 1 पद हेतु 8, 2 पद होने पर 11, 3 पद होने पर 14, 4 पद होने पर 17, 5 पद होने पर 20 आवेदकों को साक्षात्कार हेतु बुलाया जायेगा। पदों की संख्या इससे अधिक होने पर यही क्रम जारी रखा जायेगा।

(7) किसी पद हेतु 3 से कम पात्र आवेदन होने पर उस पद के लिए प्रक्रिया को रोक दिया जायेगा।

(8) विज्ञापन के संबंध में किसी भी प्रकार का शुद्धि पत्र, पुनरीक्षण या निरस्तीकरण विश्वविद्यालय की वेबसाइट पर ही प्रकाशित किया जाएगा, इसे समाचार पत्रों में प्रकाशित नही किया जायेगा। इसलिए सभी उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि वह विश्वविद्यालय की वेबसाइट को नियमित रूप से देखते रहे।

(9) साक्षात्कार हेतु चयनित छात्रों को सूचित करने हेतु ईमेल/ व्हाट्सअप को प्राथमिकता दी जाएगी। अतः अभ्यर्थी वही ईमेल और व्हाट्सअप नंबर दे जो लगातार प्रयोग में लाया जाता रहेगा। पत्राचार हेतु भी उसी पते का उपयोग करे जो लम्बे समय तक उपयोग में आये।

9. लिखित/ कौशल परीक्षा

(1) अभ्यर्थियों की संख्या अधिक होने पर लिखित/ कौशल परीक्षा का आयोजन किया जायेगा। यह परीक्षा प्रदेश में कही भी आयोजित कराई जा सकती है।

(2) इस परीक्षा के बारे में अभ्यर्थियों को विश्वविद्यालय की वेबसाइट www.rvskvv.net पर तथा ईमेल/ व्हाट्सअप द्वारा पृथक से सूचित किया जायेगा।

(3) यदि लिखित/ कौशल परीक्षा आयोजित की जाती है तो उत्तीर्ण होने वाले/ पात्र पाए जाने वाले अभ्यर्थियों को मेरिट सूची के आधार पर साक्षात्कार हेतु बुलाया जायेगा। शेष प्रक्रिया यानि स्कोरकार्ड का मूल्यांकन तथा साक्षात्कार प्रक्रिया यथावत रहेंगे।

(4) लिखित/ कौशल परीक्षा में भाग लेने के लिए उम्मीदवारों को यात्रा व्यय और भत्ता का भुगतान नहीं किया जाएगा। साक्षात्कार में बुलाये जाने वाले आरक्षित वर्ग के पात्र अभ्यर्थियों को मध्य प्रदेश शासन के नियमानुसार द्वित्तीय श्रेणी का न्यूनतम दूरी का यात्रा भत्ता पात्रतानुसार देय होगा।

10. आवेदन करने तथा सुधार करने की अंतिम तिथि

(1) ऑनलाइन आवेदन तथा आवेदन शुल्क का भुगतान की अंतिम तिथि को रात्रि 12:00 तक रहेगा, इसके उपरांत ऑनलाइन आवेदन लिंक बंद कर दी जाएगी।

(2) ऑनलाइन आवेदन में अंतिम तिथि तक अंतिम रूप से सबमिट करने के पूर्व लॉग-इन करके सुधार किया जा सकता है, इसके उपरांत इसमें कोई सुधार किया जाना संभव नही होगा और इसके सम्बन्ध में कोई अनुरोध स्वीकार नही किया जायेगा।

(3) अंतिम रूप से सबमिट करने के बाद फॉर्म में कोई सुधार कार्य संभव नही होगा।

(4) ऑनलाइन आवेदन करने के पश्चात् अभ्यर्थी के किसी भी योग्यता/जानकारी को बढ़ाने/ घटाने या जोड़ने हेतु किसी भी पत्राचार पर विचार नही किया जायेगा और न ही ऐसे किसी पत्राचार को आवेदन में सम्मिलित किया जायेगा।

(5) अपूर्ण आवेदन जिन्हें अंतिम रूप से सबमिट नही किया गया है, वो स्वतः निरस्त हो जायेंगे। अतः आवेदको को सलाह दी जाती है, कि अंतिम तिथि से पहले आवेदन की पूर्ण जाँच करने अंतिम सबमिशन (final submission) का बटन आवश्यक रूप से दबाकर आवेदन को जमा करें।

(6) इसी प्रकार पूर्ण भरे हुए आवेदन हेतु आवेदन शुल्क का भुगतान नही किया गया है अथवा भुगतान की जानकारी ऑनलाइन आवेदन में भरकर अंतिम सबमिशन (final submission) नही किया गया है तो भी आवेदन स्वतः निरस्त हो जायेगा।

(7) स्वतः निरस्त होने वाले ऐसे आवेदनों हेतु आवेदन अवधी बढ़ाने हेतु कोई विचार नही किया जायेगा।

11. निम्न अभ्यर्थी किसी भी प्रकार के पद हेतु आवेदन करने के पात्र नही होंगे –

(1) जिन्हें किसी भी न्यायालय द्वारा किसी भी आपराधिक मामले में दोषी ठहराया जा चुका है।

(2) जिसने ऐसे व्यक्ति के साथ विवाह किया है या विवाह का अनुबंध किया है जिसका जिसकी पति या पत्नी जीवित हो।

(3) जो भारत का नागरिक नहीं है।

(4) केंद्र/ राज्य शासन, भा. कृ. अनु. प., कृषि अनुसंधान एवं शिक्षा निदेशालय, राजमाता विजयाराजे सिंधिया कृषि विश्व विद्यालय या अन्य विश्वविद्यालय आदि द्वारा समय-समय पर नियुक्ति के लिए अयोग्य घोषित किया गया है।

(5) कोई भी अभ्यर्थी जिसने विवाह के लिए नियत की गयी न्यूनतम आयु (पुरुष हेतु 21 वर्ष तथा महिला हेतु 18 वर्ष) से पूर्व विवाह कर लिया हो, किसी भी पद पर नियुक्ति हेतु पात्र नही होगा।

(6) ऐसे अभ्यर्थी जिनकी एक से अधिक पत्नियाँ हैं और ऐसी महिला अभ्यर्थी जिसने ऐसे विवाहित पुरुष से विवाह किया है, जिसकी पहले से ही एक पत्नी जीवित है, विश्वविद्यालय सेवा के लिए पात्र नहीं होगी। यदि अभ्यर्थी गलत जानकारी देता है तो उसकी नियुक्ति/चयन बिना किसी पूर्व सूचना के समाप्त कर दिया जायेगा।

(7) कोई भी अभ्यर्थी जिसकी दो से अधिक जीवित संतान है, जिनमे से 1 का जन्म 26 जनवरी, 2001 को या उसके बाद हुआ हो, किसी भी पद पर नियुक्ति हेतु पात्र नही होगा। परन्तु कोई भी अभ्यर्थी जिसकी पहले से 1 जीवित संतान है और आगामी प्रसव 26 जनवरी, 2001 को या उसके बाद हो जिसमे दो से अधिक संतान का जन्म होता है, किसी सेवा या पद पर नियुक्ति के लिए निरर्हित नही होगा।

(8) यदि अभ्यर्थी के विरुद्ध कोई कानूनी/ न्यायिक मामला या विभागीय जांच लंबित है, तो किसी भी स्तर पर उसका आवेदन निरस्त कर उसपर पर विचार नहीं किया जाएगा।

12. आवेदन निरस्त होने के संभावित कारण –

(1) यदि आवेदन शुल्क का भुगतान नहीं किया गया है और उसका प्रमाण नही दिया गया है।

(2) आवेदन के साथ गलत दस्तावेजों को संलग्न किया गया है।

(3) आवेदन को अंतिम रूप से अंतिम तिथि के पूर्व जमा नही किया गया है।

(4) अंतिम तिथि तक अपेक्षित शैक्षणिक योग्यता नहीं है.

(5) यदि आवेदन की अंतिम तिथि को अभ्यर्थी की आयु कम या अधिक है।

(6) यूजीसी नई दिल्ली द्वारा नकली/ अमान्य घोषित किए संस्थान से डिग्री/ डिप्लोमा/ प्रमाण पत्र प्राप्त करने वाले अभ्यर्थी।

13. आवेदन के समय अपलोड किये जाने तथा सत्यापन के समय प्रस्तुत किये जाने वाले दस्तावेज,

- आवेदक के मूल पहचान पत्र तथा सभी मूल प्रमाण पत्र/ दस्तावेज,
- शैक्षणिक योग्यता संबंधी प्रमाण पत्र
- प्रशंसा पत्र (टेस्टीमोनियल्स)
- अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग तथा दिव्यांग के पदों हेतु आवेदन करने वाले अभ्यार्थियों हेतु सक्षम अधिकारी द्वारा निर्धारित प्रोफार्मा में जारी नवीनतम जाति प्रमाण पत्र
- अन्य पिछड़ा वर्ग, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग वर्गों हेतु आय प्रमाण पत्र
- मध्य प्रदेश राज्य का मूल निवासी प्रमाण पत्र (यदि लागु है तो)
- वर्तमान नियोक्ता से जारी अनापत्ति प्रमाण पत्र (यदि लागु है तो)
- तृतीय एवं चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों हेतु जीवित रोजगार पंजीयन
- ऑनलाइन आवेदन में दिए गए समस्त अभिलेख

Rajmata Vijayaraje Scindia Krishi Vishwa Vidyalaya, Gwalior (M .P.)

Details of various Posts advertised under advertisement
No. IPRO/Advt. No.30th/2023/Reg./3206, dated 25.09.2023

A. POSTS FOR KRISHI VIGYAN KENDRAS

1. SENIOR SCIENTISTS ANDHEAD

1. Item/ Serial No. : A-1
2. Name of Post : SENIOR SCIENTISTS CUM-HEAD
3. Scale of Pay : PB-4, Rs. 37400-67000, GP 9000 [Pay Level 13A (As per 7th CPC)]
4. Qualifications:

A. Minimum Essential Qualifications

Doctoral degree in relevant subject including relevant basic Sciences with 8 years experience in the relevant Subject as Scientist/ Lecturer/ Extension Specialist/ Subject Matter Specialist or in an equivalent position in the pay band-3 of Rs.15600-39100 with Grade pay of Rs. 5400/ Rs. 6000/ Rs. 7000/ Rs. 8000 having made contribution to research/ teaching/ extension education as evidenced by published work/ innovations and impact.

B. Desired Qualifications

Specialization in implementing extension education programmes.

***

2. SUBJECT MATTER SPECIALIST

1. Item/Serial No. : A-2(A) to A-2(F)
2. Name of Post : SUBJECT MATTER SPECIALIST
3. Scale of Pay : PB-3, 15600-39100 GP- 5400 [Pay Level 10 (As per 7th CPC)]
4. Qualifications:

Minimum Essential Qualifications

Master's degree in Agriculture in Agronomy/ Horticulture/ Soil Science/ Plant Protection/ Extension Education/ Animal Husbandry or relevant equivalent qualification from a recognized University.

Desired Qualifications

Working experience in the field of agricultural extension/ research/ education.

3. PROGRAMME ASSISTANT (Agriculture and Allied Subject)

1. Item/Serial No. : A-3
2. Name of Post : Programme Assistant (Agriculture and Allied Subject)
3. Scale of Pay : PB-2, 9300-34800, GP-4200 [Pay Level 6 (As per 7th CPC)]
4. Qualifications:

Minimum Essential Qualifications

Bachelor degree in Agriculture or any other branch of science/ social science relevant to agriculture or equivalent qualification from a recognized University.

Desired Qualifications

Experience of working in agricultural fields.

***

4. PROGRAMME ASSISTANT (Computer)

1. Item/Serial No. : A-4
2. Name of Post : Programme Assistant (Computer)
3. Scale of Pay : PB-2, 9300-34800, GP-4200 [Pay Level 6 (As per 7th CPC)]
4. Qualifications:

Minimum Essential Qualifications

Bachelor degree in Computer Science or equivalent qualification from a recognized University.

Desired Qualifications

1. Having experience in relevant field and working with computer.
2. Experience in software development.
3. Experience of handling the database with computer languages.
4. Valid certificate of Computer Proficiency Certification Test (CPCT)

***

5. कार्यालय अधीक्षक सह लेखापाल (सहायक)

1. सरल/पद क्र. : A-5

2. पद : कार्यालय अधीक्षक सह लेखापाल (सहायक)

3. वेतनमान : रू. 9300 - 34800 + AGP 4200 (सातवां वेतनमान अनुसार पे लेवल–6)

4. अर्हताः

- **अनिवार्य योग्यताः–**
  1. मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से न्यूनतम 55% अंको में स्नातक या समकक्ष योग्यता।
- **वांछनीय योग्यता :–**
  1. मान्यता प्राप्त संस्थान से दो वर्ष का लेखा कार्य अनुभव।
  2. मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से कम्प्यूटर एप्लीकेशन में डिप्लोमा।

6. शीघ्रलेखक श्रेणी–3

सरल क्र. : A-6

पद : शीघ्रलेखक श्रेणी–3

वेतनमान : रू. 5200 - 20200 + AGP 2400 (सातवां वेतनमान अनुसार पे लेवल–4)

अर्हता :

- **अनिवार्य योग्यताः–**
  1. हायर सेकेंडरी (10+2) परीक्षा उत्तीर्ण और समकक्ष।
  2. मान्यता प्राप्त संस्थान से एनसीवीटी/एससीवीटी/समकक्ष से 80 शब्द प्रतिमिनट गति के साथ हिन्दी एवं अंग्रेजी में शीघ्रलेखन का दक्षता प्रमाण पत्र।
  3. मान्यता प्राप्त संस्थान से पी.जी.डी.सी.ए./डी.सी.ए./समकक्ष डिप्लोमा।
  4. मध्यप्रदेश शासन, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभागांतर्गत आयोजित कम्प्यूटर दक्षता प्रमाणीकरण परीक्षा (सीपीसीटी) हिन्दी एवं अंग्रेजी टायपिंग के साथ उत्तीर्ण प्रमाण–पत्र।
- **वांछनीय योग्यता :–**
  1. मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से न्यूनतम 55% अंको में स्नातक या समकक्ष योग्यता।
  2. मान्यता प्राप्त संस्थान से प्रासंगिक पद का कार्य अनुभव।.

***

7. वाहन चालक सह मैकेनिक

सरल क्र. : A-7
पद : वाहन चालक सह मैकेनिक
वेतनमान : रू. 5200 - 20200 + AGP 2000 (सातवां वेतनमान अनुसार पे लेवल–3)
अर्हता:–

- **अनिवार्य योग्यता:–**
  1. हाई स्कूल/मैट्रिक (10वी.) परीक्षा उत्तीर्ण और समकक्ष।
  2. हल्के तथा भारी वाहन चालक का वैधानिक/जीवित लाइसेंस।
- **वांछनीय योग्यता :–**
  1. एक वर्ष का वाहन चालन/रखरखाव संबंधी आई.टी.आई प्रमाण पत्र अथवा
  2. मान्यता प्राप्त संस्थान में वाहन चालन का अनुभव।
  3. वाहन सुधार/मैकेनिक कार्य का अनुभव।

***

8. स्किल्ड सर्पोटिंग स्टाफ

सरल क्र. : A-8
पद : स्किल्ड सर्पोटिंग स्टाफ
वेतनमान : रू. 5200 - 20200 + AGP 1800 (सातवां वेतनमान अनुसार पे लेवल–1)
अर्हता:–

- **अनिवार्य योग्यता:–**
  1. हाई स्कूल/मैट्रिक (10वी.) परीक्षा उत्तीर्ण और समकक्ष।
     अथवा
  2. आई.टी.आई उत्तीर्ण

***

B. विश्वविद्यालय हेतु पद

1. वाहन चालक

सरल क्र. : B-1

पद : वाहन चालक सह मैकेनिक

वेतनमान : रूपये 5200-20200, GP-1900 [सातवां वेतनमान अनुसार पे लेवल–4 (म.प्र. शासन पे मेट्रिक्स अनुसार)]

अर्हताः–

- **अनिवार्य योग्यताः–**
  1. मिडल स्कूल (8वी.) परीक्षा उत्तीर्ण और
  2. हल्के तथा भारी वाहन चालक का वैधानिक/जीवित लाइसेंस।
  3. मान्यता प्राप्त संस्थान में वाहन चालन का अनुभव।

***